न्यायालयः अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धरियावद जिला प्रतापगढ, (राज.)

पीठासीन अधिकारी - **सरफराज नवाज, आर.जे.एस.**

नियमित दाण्डिक प्रकरण संख्या - 143/2019

सी०आई०एस० नंबर - 143/2019

सी०एन०आर० नंबर - RJPG09-000329-2019

अपराध अंतर्गत : धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम

PART - I

	A
परिवादी	दिलीप पिता मोहनलाल तेली निवासी निचला बाजार धरियावद तहसील धरियावद जिला प्रतापगढ राजस्थान .... अभियोगी
परिवादी की ओर से	श्री हरीसिंह कोठारी, विद्वान अधिवक्ता परिवादी
बनाम	
अभियुक्त	जितेन्द्र गर्ग पिता कालुलाल गर्ग निवासी मोरमाता ग्राम पंचायत केसरीयावाद तहसील धरियावद जिला प्रतापगढ राजस्थान -----अभियुक्त
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री हरीश मेघवाल, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त।

B

अपराध की तिथी	--
परिवाद की तिथी	**03.11.2018**
परिवाद पत्र पेश होने की तिथी	**03.11.2018**
आरोप सारांश सुनाये जाने की तिथी	**08.10.2025**
परिवादी साक्ष्य पूर्ण होने की तिथी	**13.01.2026**
निर्णय सुरक्षित रखने की तिथी	**10.03.2026**
निर्णय की तिथी	**10.03.2026**
सजा सुनाए जाने की तिथी	**10.03.2026**

C

अभियुक्त क्रमांक	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथी	जमानत पर छोडे जाने की तिथी	आरोपित आरोप	दोषमुक्ति अथवा दोषसिद्धी	अधिरोपित दण्ड	विचारण के दौरान अभिरक्षा की अवधि धारा 428 सीआरपीसी
1	जितेन्द्र गर्ग	04.08.2025	04.08.2025	138 एन.आई.एक्ट	दोषसिद्धि	एक वर्ष का साधारण कारावास एवं 3,80,000/-रूपये प्रतिकर, अदम अदायगी 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास	---

PART - II

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय साक्षियों की सूची

परिवादी साक्षियों की सूची

क्रम	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
P.W.-1	दिलीप	परिवादी

बचाव साक्षी

क्रमांक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
-	-	-

न्यायालय साक्षी

क्रमांक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
-	-	-

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय प्रदर्शों की सूची

परिवादी की ओर से प्रदर्श

क्रम	प्रदर्श क्रमांक	विवरण
1	प्रदर्श पी 1	असल चैक
2	प्रदर्श पी 2	चैक अनादरण मेमो
3	प्रदर्श पी 3	विधिक नोटिस
4	प्रदर्श पी 4	पोस्टल रसीद
5	प्रदर्श पी 5	मूल नोटिस रिटर्न लिफाफा
6	प्रदर्श पी 6	परिवाद

बचाव प्रदर्श

क्रम	प्रदर्श क्रमांक	विवरण
-	-	-

न्यायालय प्रदर्श

क्रम	प्रदर्श क्रमांक	विवरण
-	-	-

सारवान वस्तु एवं मालखाना

क्र.सं.	सारवान वस्तु एवं मालखाना का क्रमांक	वर्णन	मालखाना रजिस्टर के क्रमांक एवं वर्णन
-	-	-	-

निर्णय

दिनांक 10.03.2026

1- अभियुक्त पर परिवादी से उधार ली रकम की अदायगी के लिए परिवादी को एक चैक नम्बर 770857 राशि 2,80,000/-रूपये का दिनांक 09.10.2018 का देने व उक्त चैक के अनादरित हो जाने पर परिवादी द्वारा उक्त राशि की अदायगी हेतु भेजे गए मांग सूचना-पत्र प्राप्त होने के बाद भी भुगतान न कर परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (एतस्मिन पश्चात् 1881 के अधिनियम से संबोधित) की धारा 138 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने का अभियोग है।

2- परिवाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी दिलीप ने परिवाद प्रदर्श पी-06 न्यायालय में इन तथ्यों का प्रस्तुत किया कि अभियुक्त ने परिवादी से 2,80,000/-रूपये नकद उधार लिये जिसके भुगतान के बदले एक चैक् एस.बी.आई. बैंक शाखा धरियावद का खाता संख्या 37875768610 का चैक क्रमांक 770857 राशि 2,80,000/-रूपये का चैक दिनांक 09.10.2018 का परिवादी के समक्ष हस्ताक्षर कर दिया एवं पूर्ण विश्वास दिलाया कि चैक को बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत करने पर चैक राशि का भुगतान प्राप्त हो जाएगा। उक्त चैक को परिवादी ने भुगतान हेतु अपने बैंक एस.बी.आई. शाखा धरियावद में भुगतान हेतु दिनांक 09.10.2018 को पेश किया जिसे बैंक द्वारा उक्त चैक को अनादरित कर चेक वापसी ज्ञापन पर कारण संख्या-1 फण्डस इनसफिसियेन्ट के पृष्ठांकन के साथ उक्त चैक व चैक वापसी ज्ञापन दिनांक 09.10.2018 को परिवादी को अनादरित कर लौटा दिया। उक्त चैक अनादरित होने पर परिवादी द्वारा अपने अधिवक्ता के मार्फत अभियुक्त के दिये गये पते पर रजिस्टर्ड नोटिस बाबत चैक अनादरण दिनांक 12.10.2018 को भिजवाया गया जो अभियुक्त के पते पर " पाने वाला बार-बार जाने पर घर पर नहीं मिला" के पृष्ठांकन के साथ मूल नोटिस रिटर्न हो गया। नोटिस रिटर्न होने पर भी अभियुक्त द्वारा न तो नोटिस का जवाब दिया, न ही उक्त चैक राशि अदा की गयी। अंत में परिवादी ने उक्त चैक राशि मय क्षतिपूर्ति के दिलाये जाने का निवेदन किया।

3- अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना पाये जाने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 14.03.2019 को अभियुक्त के विरूद्ध 1881 के पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रसंज्ञान लिया गया।

4- अभियुक्त को अपराध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम की विशिष्टयां लिखित में सुनाई व समझाई गई, जिसे सुन समझकर अभियुक्त ने अपने अभिवाक् में कथन किया कि उसने सन 2018 में दिलीप से स्पलेण्डर बाईक उसके भाई धनराज के नाम पर ली थी। दिलीप धनराज से रूपये मांगता था, दिलीप ने मोटरसाइकिल छीन कर ले ली, उसके हस्ताक्षरशुदा उसकी मोटरसाइकिल में थे उन खाली चैंकों को दिलीप ने भरकर दुरूपयोग किया। उसकी रिपोर्ट भी थाने में दी थी दिलीप उससे कोई रूपया नहीं मांगता है। अपराध अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

5- तदन्तर परिवादी दिलीप द्वारा मौखिक साक्ष्य में स्वयं को (परि. सा. 01) के रूप में परिक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी-1 लगायत पी-6 दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया गया।

6- दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन किए गए परीक्षण में अभियुक्त ने परिवादी साक्ष्य को गलत होना बताया तथा कथन किया कि उसने वर्ष 2015 में दिलीप से स्पलेण्डर बाईक उसके भाई धनराज के नाम पर ली। दिलीप धनराज से रूपये मांगता था। दिलीप ने मोटरसाइकिल खींच कर ले ली। उसके चैक हस्ताक्षरशुदा उसकी मोटरसाइकिल में थे, उन खाली चैकों को दिलीप ने भरकर दुरूपयोग किया। उसकी रिपोर्ट भी थाने में दी थी। दिलीप उससे कोई रूपया नहीं मांगता है एवं प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश करना चाहा। किन्तु पर्याप्त व समुचित अवसर दिये जाने के उपरान्त कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं की।

7- दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता परिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित होना बताते हुए अभियुक्त को दोषसिद्ध किए जाने का निवेदन किया। जबकि विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा तर्क दिया गया कि परिवादी पक्ष ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका है, जिसके आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जा सके। इसके अतिरिक्त तर्क दिया कि परिवादी ने उसके सिक्योरिटी पेटे दिये चैक का दुरूपयोग कर चैक उसके विरूद्ध लगा दिया। अंत में अभियुक्त को दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया।

8- प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय बिंदु हैः-

1- क्या अभियुक्त ने परिवादी को एक चैक नम्बर 770857 राशि 2,80,000/-रूपये का दिनांक 09.10.2018 का प्रदत्त किया?

2- क्या अभियुक्त ने परिवादी को उक्त चैक किसी वैध ऋण अथवा दायित्व के उन्मोचन हेतु प्रदत्त किया था?

3- क्या उक्त चैक को अभियुक्त के बैंक खाते में विहित समयावधि में पेश किए जाने के उपरांत बैंक द्वारा अपर्याप्त राशि होने के आधार पर अनादरित कर दिया गया?

4- क्या उक्त चैक के अनादरण की सूचना प्राप्त होने के 30 दिवस के भीतर परिवादी ने अभियुक्त को उक्त राशि अदा करने हेतु लिखित सूचना पत्र प्रेषित किया था?

5- क्या उक्त सूचना पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर अभियुक्त ने परिवादी को प्रश्नगत राशि अदा नहीं की है?

निष्कर्ष एवं उसके आधार

9- विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 व 02 के संबंध मेंः-

सुविधा की दृष्टि से उक्त दोनों विचारणीय बिन्दुओं का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। इस संबंध में परिवादी दिलीप (परि. सा. 01) ने अपनी मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में कथन किया कि अभियुक्त ने उससे उधार लिये रूपयों के भुगतान के बदले एक चैक एस.बी.आई. बैंक शाखा धरियावद का खाता संख्या 37875768610 का चैक क्रमांक 770857 राशि 2,80,000/-रूपये का चैक दिनांक 09.10.2018 का उसके समक्ष हस्ताक्षर कर दिया एवं पूर्ण विश्वास दिलाया कि चैक बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत करने पर चैक राशि का भुगतान प्राप्त हो जाएगा। उसने उक्त चैक को भुगतान हेतु उसके बैंक एस.बी.आई. शाखा धरियावद में भुगतान हेतु पेश किया जिसे बैंक द्वारा अनादरित कर चैक वापसी ज्ञापन पर कारण संख्या 1 फण्डस इनसफिसियेन्ट के पृष्ठांकन के साथ उक्त चैक व चैक वापसी ज्ञापन नियत तिथि दिनांक 09.10.2018 को उसे अनादरित कर लौटा दिया। अपने कथनों के समर्थन में परिवादी की ओर से चैक प्रदर्श पी-1 व चैक रिटर्न मेमो प्रदर्श पी-2 न्यायालय में प्रस्तुत किये।

10- **1881 के अधिनियम की धारा 118 (g) चैक के धारक के पक्ष में सम्यक् अनुक्रम धारक होने की उपधारणा करने का प्रावधान रखती है, जिसके अनुसारः-** "That holder is a holder in due course: that the holder of a negotiable instrument is a holder in due course: provided that, where the instrument has been conbtained from its lawful owner, or from any person in

lawful custody thereof, by means of an offence or fraud, or has been obtained from the maker or acceptor thereof by means of an offence or fraud, or for unlawful consideration, the burden of proving that the holder is a holder in due course lies upon him"

11- **साथ ही चैक के धारक के संबंध में 1881 के अधिनियम की धारा 139 यह उपधारणा करती है कि** "Presumtion in favour of holder- Is shall be presumed, unless the contrary is proved, that the holder of a cheque received the cheque of the nature referred to in sec. 138 for the discharge, in whole or in part, or any debt or other liability"

12- इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत Rangappa Vs Sri Mohan(2010) 11 SCC 411 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायमूर्तिगण की पीठ द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत अवलोकनीय हैः- "The presumption under section 139 of the Negotiable Instruments Act, 1881 includes the presumtion of the existence of cca legally enforceable debt or liablility. That presemption is required to be honoured, and if it is not so done, the entire basis of making these provisions will be lost Therefor, is has been held that it is for the accused to explain his case and defend it once the fact of cheque bouncing is prima facie estblished. The burdon is on him to disprove the allegation once a prime facie case is mode out by the complainant."

13- हस्तगत मामले में परिवादी ने उक्त उपधारणा करने हेतु आवश्यक तथ्य अपने मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में समाहित किए हैं इसलिए परिवादी द्वारा वैध ऋण अथवा दायित्व के उन्मोचन हेतु चैक प्राप्त किए जाने की उपधारणा की जाती है। यह उपधारणा खंडनीय है, इसलिए अभियुक्त के द्वारा लिए गए बचाव पर विचार किया जाना है।

14- बचाव पक्ष द्वारा परिवादी साक्षी से की गई प्रतिपरीक्षा में एवं बहस के दौरान जो तर्क लिये, उसके सम्बन्ध में न्यायालय का मत बिन्दुवार दिया जाना उचित प्रतीत होता है। बचाव पक्ष का प्रथम तर्क यह रहा कि अभियुक्त ने परिवादी से एक मोटरसाइकिल वर्ष 2015 में अभियुक्त के भाई धनराज को दिलाई थी। परिवादी धनराज से रूपये मांगता था। बाद में परिवादी ने धनराज से मोटरसाइकिल छीन ली, उस समय मोटरसाइकिल में अभियुक्त का चैक रखा हुआ था जिसका परिवादी ने हस्तगत प्रकरण के माध्यम से दुरूपयोग किया एवं दिनांक 09.10.2018 को अभियुक्त

मुम्बई में था। इस संबंध में परिवादी साक्षी पी.ड-1 दिलीप की साक्ष्य को देखें तो उसने अपनी मुख्य परीक्षा के शपथ-पत्र में अभियुक्त को 2,80,000/-रूपये नकद उधार देना बताया एवं उक्त उधार दी गयी राशि के पेटे प्रश्नगत चैक प्राप्त करना बताया। बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने इन सुझावों को गलत बताया कि वह धनराज से कोई पैसे मांगता हो, उसने धनराज की कोई बाईक ले ली हो, धनराज की बाईक में जितेन्द्र के चैक पडे हो जिसमें से एक प्रदर्श पी-1 चैक ले लिया हो। उसने इस सुझाव को भी गलत बताया कि चैक् प्रदर्श पी-1 उसके पास वर्ष 2015 से हो जिसे स्पष्ट किया कि वर्ष 2018 से है। उसने इस बात की जानकारी होने से इन्कार किया कि दिनांक 29.10.2018 को जितेन्द्र कुमार मुम्बई में हो। उसने इस सुझाव को भी गलत होना बताया कि चैक प्रदर्श पी-1 दिनांक 09.10.2018 को जितेन्द्र ने नहीं दिया हो। इस प्रकार परिवादी साक्षी ने बचाव पक्ष की संपूर्ण प्रतिपरीक्षा को अपनी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से गलत बताया। बचावपक्ष द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की। बचाव पक्ष ने यह स्पष्ट नहीं किया कि कथित मोटरसाइकिल अभियुक्त द्वारा धनराज को किस वास्तविक दिनांक को दिलाई गयी एवं यदि मोटरसाइकिल धनराज को दिलायी गयी तो किन परिस्थितियों में अभियुक्त का चैक् कथित मोटरसाइकल में रखा हुआ था। केवल मात्र मौखिक कथनों के आधार पर बचाव पक्ष की कहानी को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः बचाव पक्ष का उक्त तर्क विश्वसनीय प्रकट नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

15- जहां तक अभियुक्त के दिनांक 09.10.2018 को मुम्बई में होने का प्रश्न है तो इस संबंध में बचाव पक्ष द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जो यह बात स्पष्ट करे कि चैक दिनांक 09.10.2018 को अभियुक्त मुम्बई में रहा है। तर्क के लिए माना जाए कि चैक दिनांक को अभियुक्त मुम्बई में था तो भी परिवादी ने अपनी संपूर्ण साक्ष्य में कहीं भी यह कथन नहीं किया कि उसके द्वारा राशि दिनांक 09.10.2018 को देकर चैक भी दिनांक 09.10.2018 को ही प्राप्त किया हो। ऐसी दशा में उक्त तर्क भी विश्वसनीय नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

16- बचाव पक्ष का दूसरा तर्क यह रहा कि हस्तगत प्रकरण में चैक् प्रदर्श पी-1 दिनांक 09.10.2018 का है, जिसका रिटर्न मेमो प्रदर्श पी-2 दिनांक 09.10.2018 का है जिसका नोटिस अभियुक्त द्वारा दिनांक 13.10.2018 को प्रेषित किया गया जो दिनांक 23.10.2018 को ''पाने वाले के घर पर नहीं मिलने'' के नोट के साथ पुनः लौटाया गया जो पोस्टल लिफाफे पर डाक विभाग की मोहर पर अंकित दिनांक 23.10.2018 से सिद्ध है। परिवादी द्वारा दिनांक 23.10.2018 से 15 दिवस की अवधि व्यतीत होने से पूर्व ही

दिनांक 03.11.2018 को परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया, इसलिए परिवाद विधि अनुसार पोषणीय नहीं है।

17- इस संबंध में दौराने बहस अधिवक्ता परिवादी का तर्क रहा कि नोटिस दिनांक 12.10.2018 को प्रेषित किया गया था जिसकी पोस्टल रसीद दिनांक 12.10.2018 की है। लिफाफा प्रदर्श पी-5 के पृष्ट भाग पर यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि डाक विभाग के कर्मचारी द्वारा दिनांक 12.10.2018 से लेकर 18.10.2018 तक तामील हेतु अभियुक्त के घर पर गया परन्तु पाने वाला घर पर नहीं मिलने के कारण तामील नहीं हो सकी। परिवाद की दिनांक 18.10.2018 की अवधि से गणना करें तो विहित समयावधि में पेश किया गया है।

18- बचाव पक्ष के उक्त तर्क के संबंध में उभयपक्ष द्वारा दिये तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से प्रकट होता है कि नोटिस परिवादी द्वारा दिनांक 12.10.2018 को प्रेषित किया गया था जिसकी पुष्टि प्रदर्श पी-3 विधिक नोटिस व पोस्टल रसीद प्रदर्श पी-4 से होती है। मुख्य बिन्दु जो न्यायालय को तय करना है वह यह है कि हस्तगत प्रकरण में परिवाद विहित समयावधि में प्रस्तुत किया गया अथवा नहीं? इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन करें तो प्रकट होता है कि परिवादी द्वारा विधिक नोटिस पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित किया गया। उक्त पंजीकृत लिफाफा डाक विभाग द्वारा वापस परिवादी को लौटाया गया। लिफाफे पर डाकिया द्वारा दिनांक 12.10.2018 से 18.10.2018 तक यह रिपोर्ट अंकित की गयी है ''पाने वाला नहीं मिला है''। लिफाफे पर डाक विभाग की ओर से दिनांक 23.10.2018 की एक मोहर भी अंकित है। इन्हीं दो दिनांकों के आधार पर हस्तगत प्रश्न उत्पन्न हुआ है इस संबंध में न्यायालय का मत है कि एक सामान्य डाक प्रक्रिया अनुसार डाकिये द्वारा वितरण का प्रयास करने के पश्चात लिफाफा संबंधित डाकघर में जमा कराया जाता है और डाकघर द्वारा वापसी पर प्रशासनिक प्रक्रिया के समय उस पर मोहर अंकित की जाती है अतः लिफाफे पर अंकित दिनांक 23.10.2018 की मोहर केवल डाकघर की प्रशासनिक प्रक्रिया को दर्शाती है न कि नोटिस वितरण की वास्तविकता तिथि को। विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों अनुसार नोटिस का वितरण करने का प्रयास किया जाता है और प्राप्तकर्ता उपलब्ध नहीं मिलता या नोटिस प्राप्त करने से बचता है तो नोटिस को डीम्ड सर्विस माना जाता है और उस स्थिति में डाकिया द्वारा अंकित की गयी तिथि ही प्रासंगिक मानी जाती है।

19- हस्तगत प्रकरण में डाकिया द्वारा दिनांक 18.10.2018 को अंतिम बार नोटिस के वितरण का प्रयास किया गया जो अभिलेख पर उपलब्ध लिफाफा प्रदर्श पी-5 के पुष्ट भाग पर अंकन से सिद्ध है। अतः नोटिस की सर्विस की तिथि दिनांक

18.10.2018 माना जाना उचित है। यदि उक्त अवधि तिथि से 15 दिवस की वैधानिक अवधि की गणना की जावे तो यह अवधि दिनांक 02.11.2018 को समापत होती है और उसके पश्चात दिनांक 03.11.2018 को परिवादी के पक्ष में परिवाद पेश करने का कारण उत्पन्न होता है। अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा परिवाद दिनांक 03.11.2018 को प्रस्तुत किया गया है। अतः यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि परिवादी द्वारा विधि द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्दर परिवाद पेश किया गया है। अतः इस संबंध में अभियुक्त पक्ष द्वारा उठायी गयी आपत्ति स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत नहीं होती। अतः उक्त विवेचन अनुसार अभियुक्त का उक्त तर्क अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

20- उपरोक्त संपूर्ण विवेचन से यह साबित होता है कि परिवादी ने अपने कथनों के समर्थन में उपधारणा किए जाने के पर्याप्त आधार इस न्यायालय में प्रस्तुत किए है, जबकि अभियुक्त उक्त उपधारणा को खंडित करने में असफल रहा है। अतः उपरोक्त विचारणीय बिंदु 1 व 2 परिवादी के पक्ष में साबित होते है।

21- **विचारणीय बिंदु क्रमांक 3 के संबंध मेंः-**

इस संबंध में परिवादी दिलीप (परि. सा. 01) का कथन है कि उसने अभियुक्त के कथनों पर विश्वास करके उसके कहे अनुसार प्रश्नगत चैक भुगतान हेतु अपने बैंक एस.बी.आई. शाखा धरियावद में पेश किया, जहां से उक्त चैक मय चैक वापसी ज्ञापन पर कारण अपर्याप्त राशि का पृष्ठाकन कर लौटा दिया। इस प्रकार उसे चैक की राशि का भुगतान प्राप्त नहीं हो सका, क्योंकि अभियुक्त के बैंक खाते के खाते में पर्याप्त राशि नहीं थी। अपने कथनों के समर्थन में परिवादी द्वारा मूल चैक प्रदर्श पी-1 एवं अनादरण मैमो प्रदर्श पी-2 प्रस्तुत किये गये।

22- **1881 के अधिनियम की धारा 146 बैंक ज्ञापन के संबंध में यह उपधारणा करती है कि** - "The court shall, in respect of every proceeding under this Chapter, on production of bank's slip or memo having thereon the official mark denoting that the cheque has been dishonoured, presume the fact of dishonour of such cheque, unless and untill such fact is disproved."

23- अभियुक्त ने ऐसा कोई बचाव नहीं लिया है कि उसके खाते में चैक अनादरण के समय पर्याप्त राशि हो और चैक पर उसके हस्ताक्षर नहीं हो। अभियुक्त की ओर से धारा 146 की उक्त उपधारणा के खंडन में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। इस कारण उपधारणा खंडित न होने से यह भी युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है कि चैक प्रदर्श पी-1 अभियुक्त के बैंक खाते पर्याप्त राशि न होने के

कारण अनादरित हो गया था। अतः उपरोक्त विचारणीय बिन्दु क्रमांक 3 परिवादी के पक्ष में साबित होता है।

24- <u>विचारणीय बिंदु क्रमांक 4 व 5 के संबंध मेंः-</u>

परिवादी दिलीप (परि. सा. 01) के अनुसार चैक बिना भुगतान के वापस आने की सूचना बैंक द्वारा उसे दिनांक 09.10.2018 को दी गई। सूचना प्राप्त होने के पश्चात् उसने अधिवक्ता के मार्फत अभियुक्त को रजिस्टर्ड नोटिस बाबत चैक अनादरण अभियुक्त के रजिस्टर्ड पते पर दिनांक 12.10.2018 को भेजा जो अभियुक्त के पते से "पाने वाला बार-बार घरपर जाने पर नहीं मिला" के पृष्ठांकन के साथ मूल नोटिस रिटर्न हो गया। बावजूद इसके अभियुक्त द्वारा चैक में वर्णित राशि का भुगतान नहीं किया गया। रजिस्टर्ड नोटिस प्रदर्श पी-3, डाक रसीद प्रदर्श पी-4 व मूल नोटिस का लिफाफा प्रदर्श पी-5 परिवादी द्वारा प्रस्तुत किए गए।

25- अधिवक्ता अभियुक्त का बहस के दौरान यह तर्क रहा है कि नोटिस अभियुक्त को प्राप्त नहीं हुआ। इस संबंध में परिवादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज रजिस्टर्ड नकल नोटिस प्रदर्श पी-3, पोस्टल रसीद प्रदर्श पी-4 व मूल लिफाफा प्रदर्श पी-5 के परिशीलन करने से प्रकट होता है कि उक्त नोटिस परिवादी द्वारा अभियुक्त के ज्ञात पते पर प्रेषित किया गया जो अभियुक्त के बार-बार घर पर नहीं मिलने के कारण वापस लौटा। इस प्रकार परिवादी द्वारा विहित समयावधि में विधिक नोटिस अभियुक्त के ज्ञात पते पर प्रेषित किया गया है। अभियुक्त पक्ष की ऐसी कोई प्रतिरक्षा नहीं रही है कि नोटिस प्रदर्श पी-3 व लिफाफा प्रदर्श पी-5 पर अंकित पता उसका नहीं हो। इस संबंध में न्यायालय का मत है कि नोटिस पर अंकित पता, परिवाद में अंकित पता जिस पर न्यायालय द्वारा जारी आदेशिका की तामील हुई, एक समान है, जिससे यह स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा अभियुक्त के ज्ञात पते पर नोटिस प्रेषित किया गया था। यदि अभियुक्त को नोटिस प्राप्त नहीं हुआ, तो भी अभियुक्त न्यायालय मे प्रथम उपस्थिति के पश्चात परिवादी से मिलकर चैक के सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही कर सकता था, परन्तु इस संबंध में कोई कार्यवाही अभियुक्त की ओर से की गई हो, ऐसा कोई तथ्य अभियुक्त द्वारा न्यायालय के समक्ष स्पष्ट नहीं किया गया है। अतः न्यायालय के समक्ष यह स्थिति स्पष्ट है कि नोटिस विहित समयावधि में अभियुक्त को प्राप्त हो चुका था। ऐसी स्थिति में उक्त विचारणीय बिन्दु क्रमांक 4 परिवादी के पक्ष में साबित होता है।

26- परिवादी द्वारा अपने शपथ-पत्र में यह भी कथन किया है कि परिवादी द्वारा दिया गया नोटिस प्रदर्श पी-3 की जानकारी अभियुक्त को हो गयी थी जिसका कोई खण्डन बचाव पक्ष द्वारा नहीं किया गया है। न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई

स्थिति प्रकट नहीं हुई कि सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अभियुक्त ने परिवादी को प्रश्नगत राशि अदा की हो। ऐसी स्थिति में उक्त विचारणीय बिंदु क्रमांक 4 व 5 भी परिवादी के पक्ष में साबित होता है।

27- अतः उपरोक्त विवेचनानुसार विचारणीय बिन्दु संख्या-1 लगायत 5 परिवादी के पक्ष में साबित होते हैं।

//आदेश//

28- अतः अभियुक्त **जितेन्द्र गर्ग** को ऋण के उन्मोचन हेतु 2,80,000/- रुपये का एक चैक देकर, उक्त राशि के चैक का **अपर्याप्त राशि** के आधार पर अनादरण हो जाने पर, परिवादी द्वारा मांग सूचना पत्र भेजे जाने के बाद भी परिवादी को भुगतान नहीं किए जाने के कारण परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

29- वर्तमान में चैक अनादरण के प्रकरणों में लगातार वृद्धि हो रही है। अतः मामले में तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए हस्तगत प्रकरण में यदि अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है तो इस प्रकार के अपराधों को प्रोत्साहन मिलेगा। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता।

30- दंड के प्रश्न पर सुना गया। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्त गरीब व्यक्ति है। आरोपित अपराध अधिकतम दो वर्ष के कारावास से दंडनीय है तथा समन प्रक्रिया द्वारा विचारणीय है। अधिवक्ता परिवादी द्वारा तर्क दिया गया कि प्रकरण सन् 2018 में प्रदान किए गए चैक के अनादरण से संबंधित है अर्थात् संव्यवहार हुए करीब 07 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है। इस अवधि में सामान्य निवेश से भी संव्यवहार की राशि में सारवान वृद्धि हो जाती।

//दण्डादेश//

31- परिणामस्वरूप आरोपित अपराध की प्रकृति, विचारण में लगे समय, प्रकरण की परिस्थितियों एवं परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 117 के द्वारा दर्शाए मापदंडों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त **जितेन्द्र गर्ग पिता कालुलाल गर्ग निवासी मोरमाता ग्राम पंचायत केसरीयावाद तहसील धरियावद जिला प्रतापगढ राजस्थान** को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्धी पर **एक वर्ष् के साधारण कारावास** से दंडित किया जाता है एवं **3,80,000/-रुपये अक्षरे तीन लाख अस्सी हजार रूपये** अभियुक्त परिवादी

को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357(3) के अनुसार अदा करेगा। प्रतिकर अदा करने के व्यतीक्रम में अभियुक्त को **15 दिवस का साधारण कारावास** पृथक् से भुगताया जाए। प्रतिकर की राशि जमा होने पर, अपील अवधि पश्चात्/अपील न होने पर परिवादी को भुगतान की जावे और अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

32- अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान न्यायालय में नियमित उपस्थिति हेतु प्रस्तुत बंधपत्र एवं प्रतिभूति पत्र उन्मोचित किए जाते हैं।

33- अभियुक्त के जांच एवं विचारण के दौरान निरोध अवधि में रहने संबंधी प्रमाण पत्र अंतर्गत धारा 428 दंड प्रक्रिया संहिता पृथक् से बनाकर अभिलेख में संलग्न किया जावे। अभियुक्त द्वारा पूर्व में प्रकरण में व्यतीत पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा की अवधि को मूल सजा की अवधि में समायोजित किया जावे।

(सरफराज नवाज)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
धरियावद जिला प्रतापगढ़

34- उक्त निर्णय व आदेश आज दिनांक 10.03.2026 को मेरे अनुदेश पर लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

(सरफराज नवाज)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
धरियावद जिला प्रतापगढ़

DEEPAK
KUMAR
GUPTA